वरीयता सं. 13

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *143
(जिसका उत्तर सोमवार 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)

राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु सहायता

***143. श्री ए. गणेशमूर्तिः**
श्री ए. राजाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य को अपने पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद करने के लिए उसे विभाज्य पूल से देय कर की किस्तें जारी की हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभाज्य पूल में से राज्यों को जारी कर की किस्त की राशि सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी की जाने वाली अनंतिम जीएसटी क्षतिपूर्ति का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और कितनी राशि जारी की जानी है;
(ग) क्या वित्तीय दबाव से जूझ रहे राज्यों को उक्त अनंतिम जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने में विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) राज्यों को देय समस्त राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री ए. गणेशमूर्ति और श्री ए. राजा द्वारा पूछे गए दिनांक 13 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 143 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : जी, हाँ। पिछले पांच वर्षों में राज्यों को अंतरित कर की राशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है:

(ख) से (घ): जीएसटी मुआवजे के बदले बैक टू बैक लोन के रूप में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2020-21 में 1.10 लाख करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपए जारी किया गया और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को नियमित रूप से जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में और 31.05.2022 तक राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को देय समस्त अनंतिम जीएसटी मुआवजा भुगतान की मंजूरी दे दी गई है।

***

अनुबंध

राज्यों को अंतरित की गई राशि

(रुपए करोड़)

राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 फरवरी 2023 तक
आंध्र प्रदेश	29001.25	32787.03	28242.39	24460.59	35385.83	32703.24
अरुणाचल प्रदेश	9238.79	10436.14	8987.57	10472.58	14643.90	14198.13
असम	22301.52	25215.85	21721.44	18629.32	28150.55	25276.96
बिहार	65083.19	73602.96	63406.33	59861.41	91352.62	81277.42
छत्तीसगढ	20754.83	23458.69	20205.84	20337.54	28570.86	27531.63
गोवा	2544.27	2878.36	2479.85	2296.53	3356.98	3119.17
गुजरात	20782.34	23489.32	20232.09	20218.53	31105.78	28105.37
हरियाणा	7297.53	8254.60	7111.53	6437.59	9722.16	8832.33
हिमाचल प्रदेश	4801.27	5429.77	4677.56	4753.92	7349.04	6707.11
जम्मू और कश्मीर	11911.66	13989.80	6801.81	0.00	0.00	0.00
झारखंड	21143.64	23906.13	20593.04	19712.23	27734.64	26723.39
कर्नाटक	31751.99	35894.83	30919	21694.11	33283.58	29471.09
केरल	16833.07	19038.17	16401.05	11560.40	17820.09	15555.75
मध्य प्रदेश	50853.06	57486.87	49517.61	46922.16	69541.50	63434.82
महाराष्ट्र	37203.32	42050.43	36219.64	36504.01	54318.06	51046.83
मणिपुर	4154.29	4698.59	4047.77	4271.97	6009.65	5785.97
मेघालय	4323.15	4889.07	4211.78	4551.63	6580.63	6198.08
मिजोरम	3097.04	3502.96	3017.8	3010.55	4222.87	4040.51
नागालैंड	3353.09	3792.41	3267.08	3409.25	4875.46	4597.96
ओडिशा	31272.03	35353.73	30453.25	27542.67	38144.79	36590.21
पंजाब	10616.96	12008.95	10345.78	10638.21	15288.79	14602.19
राजस्थान	37028.03	41852.35	36049.14	35575.77	54030.61	48695.39
सिक्किम	2470.52	2794.67	2407.69	2308.47	3353.69	3135.48
तमिलनाडु	27099.72	30638.87	26392.4	24924.51	37458.60	32961.87
तेलंगाना	16420.23	18560.88	15987.59	12691.62	18720.54	16986.06
त्रिपुरा	4322.54	4888.95	4211.78	4218.45	6077.52	5721.31
उत्तर प्रदेश	120940.10	136766.46	117818.3	106687.01	160358.05	144962.75
उत्तराखंड	7084.90	8011.59	6901.54	6568.72	9906.25	9034.57
पश्चिम बंगाल	49321.13	55775.72	48048.4	44737.01	65540.75	60792.47
कुल	**673005.46**	**761454.15**	**650677.05**	**594996.76**	**882903.79**	**808088.06**

****